

औरतों से जुड़े कानूनों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर यौन
उत्पीड़न

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)

मार्च २०२५

PEACE

औरतों से जुड़े कानूनों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर यौन
उत्पीड़न

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)
मार्च २०२५

मुखपृष्ठ डिज़ाइन और लेआउट: मोहित सिंह.

माँड्यूल के लेखक: हमज़ा तारिक.

संपादकीय सहायता

मंगला वर्मा

विपुल कुमार

जितेंद्र चाहर.

मुद्रक

स्वस्तिक ट्रेडर्स

ए-१०?सेक्टर ६५?नोएडा.गौतम बुद्ध नगर?उत्तर प्रदेश.

पिन कोड - २०१३०१.फ़ोन: ९९९९६२२०३४.

इस प्रशिक्षण नियमावली में प्रकाशित सामग्री कॉपीराइट प्रतिबंधों से मुक्त है। इस सामग्री की प्रतिलिपि बनाने?वितरित करने या उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीमित वितरण के लिए?जनहित में

प्रकाशक: पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)

मार्च २०२५

विषय-सूची

१. परिचय
२. घरेलू हिंसा
३. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
४. समुदाय-आधारित कार्रवाई

१. परिचय

लिंग-आधारित हिंसा को समझना

लिंग-आधारित हिंसा का मतलब है उन हानिकारक हरकतों से जो किसी व्यक्ति पर उनके लिंग के आधार पर की जाती हैं। इसमें शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल है, और यह अक्सर सामाजिक नियमों, शक्ति की असमानताओं और लिंग संबंधी रूढ़ियों में निहित होता है। लिंग-आधारित हिंसा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में हो सकती है और व्यक्तियों, संस्थानों या

राज्य द्वारा की जा सकती है। लिंग-आधारित हिंसा के उदाहरणों में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, तस्करी, जबरन विवाह, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक और संसाधनों या अवसरों तक पहुंच से इनकार करना शामिल है। जबकि लिंग-आधारित हिंसा सभी लिंगों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों की महिलाओं और लड़कियों को इसके सबसे गंभीर और व्यवस्थित रूपों का सामना करना पड़ता है।

लिंग आधारित हिंसा के प्रकार

- शारीरिक: मारपीट, एसिड अटैक, ऑनर किलिंग
- यौन: बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति
- मनोवैज्ञानिक: धमकियाँ, गैसलाइटिंग, सामाजिक अलगाव
- आर्थिक: मजदूरी रोकना, संपत्ति के अधिकार से वंचित करना

क्या आप जानते हैं?

- ७७% भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट नहीं करती हैं (एनएफएचएस-५)
- केवल ४ में से १ कार्यस्थल पर पॉश समितियाँ हैं (आईएलओ)

लिंग आधारित हिंसा कहाँ होती है?

- घर: गुस्से में उठा हुआ मुक्का दिखाता पति
- सड़क: पुरुषों द्वारा सीटी बजाना
- कार्यस्थल: बॉस द्वारा अनुचित हावभाव बनाना
- ऑनलाइन: फोन पर अपमानजनक संदेश

मुख्य शब्द

— पितृसत्ता:

एक ऐसी व्यवस्था जो शक्ति संरचनाओं में
पुरुषों को विशेषाधिकार देती है

— अंतरविरोध:

जाति, वर्ग, विकलांगता उत्पीड़न को कैसे
बढ़ाती है

"जब एक दलित महिला हिंसा
का सामना करती है, तो वह
लिंग और जाति दोनों से एक
साथ लड़ती है।"

.- .रूथ मनोरमा?दलित
कार्यकर्ता

संवैधानिक और मानवाधिकार आधार

भारतीय संविधान लैंगिक समानता के लिए एक मजबूत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है:

- अनुच्छेद १४: कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है
- अनुच्छेद १५: लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है
- अनुच्छेद २१: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है

CEDAW जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जो राज्यों को महिलाओं के

खिलाफ हिंसा खत्म करने और लैंगिक समानता
बनाए रखने का आदेश देता है।

लिंग, शक्ति और असमानता

लिंग-आधारित हिंसा को शक्ति से अलग करके
नहीं समझा जा सकता। पितृसत्ता, जाति, धर्म, वर्ग,
विकलांगता और यौनता मिलकर ऐसी श्रेणियाँ
बनाती हैं जहाँ हिंसा नियंत्रण का एक उपकरण बन
जाती है। उदाहरण के लिए, एक दलित महिला एक
ही समय में घरेलू हिंसा, जाति-आधारित भेदभाव
और न्याय प्रणालियों से बहिष्कार का सामना कर
सकती है।

हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर प्रभाव

लिंग-आधारित हिंसा के प्रभाव में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक बहिष्कार, वित्तीय निर्भरता और न्याय से वंचित होना शामिल है। हाशिए के समूहों की महिलाओं को अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे:

- दस्तावेज़ीकरण या पहचान की कमी
- निरक्षरता और जागरूकता की कमी
- प्रतिशोध का डर
- संस्थागत उदासीनता या शत्रुता

गतिविधि सुझाव: अंतरखंडीय पहचानों (लिंग, जाति, वर्ग, यौनता) और न्याय में बाधाओं को दर्शाने वाला एक आरेख बनाएं।

अंतरखंडीयता और हाशिए पर रहने वाले समूह

गतिविधि सुझाव: उत्पीड़न की परतें दिखाने वाला एक आरेख बनाएं। इसमें अतिव्यापी वृत्त हो सकते हैं: लिंग + जाति + वर्ग + विकलांगता

वास्तविक कहानियाँ सुनाएँ और प्रतिभागियों के साथ प्रभाव पर चर्चा करें:

- अमीना (मुस्लिम घरेलू कामगार) जिसे
अन्य घरेलू कामगारों से कम वेतन मिलता
है, उसका यौन उत्पीड़न होता है लेकिन उसे
नौकरी खोने का डर है।
- गीता (विकलांग आदिवासी महिला) जिसे
बलात्कार संकट केंद्र में प्रवेश से वंचित कर
दिया जाता है और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज
करने से इनकार कर दिया है।

गतिविधि सुझाव: "उसके जूतों में चलो" प्रतिभागी
निम्नलिखित द्वारा सामना की जाने वाली
बाधाओं की भूमिका निभाएँ:

- ट्रांसजेंडर स्ट्रीट वेंडर

— विरासत के लिए लड़ रही विधवा

लिंग आधारित हिंसा क्यों बनी रहती है

— सामान्य मानना ("लड़के तो ऐसे ही होते हैं")

— कानून की जानकारी की कमी

— सामाजिक बदनामी का डर

मिथक बनाम तथ्य

मिथक

तथ्य

‡ लिंग आधारित हिंसा एक निजी मामला है"	यह घरेलू हिंसा अधिनियम (PWDVA) और यौन उत्पीड़न अधिनियम (POSH) के तहत एक अपराध है।
---------------------------------------	---

‡ सिर्फ गरीब औरतें ही इसका सामना करती हैं"	यह सभी वर्गों को प्रभावित करता है (जैसे, #MeToo)।
--	---

लिंग आधारित हिंसा का क्या असर होता है

शारीरिक और मानसिक सेहत पर

- उदासी (लगभग ६२ लोगों में)
- हमेशा रहने वाला दर्द (लगभग ४५ लोगों में)
- खुद को मारने के ख्याल आना (लगभग २८ लोगों में)

आर्थिक नुकसान

- मजदूरी का नुकसान (औसतन प्रति पीड़ित ५ कार्यदिवस/महीना)
- चिकित्सा खर्च (गंभीर चोटों के लिए ₹ ५०,००० से अधिक)

गतिविधि सुझाव: प्रतिभागियों को एक कॉमिक स्ट्रिप बनाने में मदद करें जिसमें पहला पैनल: घर पर रोती हुई महिला? दूसरा पैनल: एनजीओ कार्यकर्ता घरेलू हिंसा अधिनियम समझाती है और तीसरा पैनल: अदालत में महिला सुरक्षा आदेश प्राप्त करती है।

मुख्य संदेश

"लिंग आधारित हिंसा सिर्फ
एक निजी समस्या नहीं है—यह
परिवारों, समुदायों और
अर्थव्यवस्था को प्रभावित
करती है।"

२. घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA), २००५ के तहत, घरेलू हिंसा में कोई भी कार्य, चूक या कृत्य शामिल है जो:

- किसी महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुँचाता है या खतरे में डालता है
- शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार का कारण बनता है

घरेलू हिंसा के प्रकार

- शारीरिक दुर्व्यवहार: पीटना, थप्पड़ मारना, धक्का देना, जलाना
- यौन दुर्व्यवहार: जबरन संभोग, गर्भनिरोधक से इनकार
- मौखिक/भावनात्मक दुर्व्यवहार: अपमान, अपमानित करना, धमकी देना, दोष देना
- आर्थिक दुर्व्यवहार: पैसे रोकना, रोजगार से वंचित करना, कमाई छीन लेना

कारण और परिणाम

कारण

- पुरुष प्रधानता का समर्थन करने वाले
सांस्कृतिक मानदंड
- दहेज और संपत्ति विवाद
- शराब का दुरुपयोग; घरेलू मुद्दों पर
सामाजिक चुप्पी

परिणाम

- अवसाद, पीटीएसडी, चिंता, चोटें और प्रजनन
स्वास्थ्य समस्याएं

— बच्चों के विकास पर प्रभाव

— सामाजिक अलगाव

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम,

२००५

इस अधिनियम के तहत, घरेलू हिंसा में आरोपी (प्रतिवादी) द्वारा कोई भी कार्रवाई, निष्क्रियता या व्यवहार शामिल है जो:

— पीड़ित के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण को नुकसान या खतरा पहुँचाता है। इसमें शारीरिक, यौन, मौखिक,

भावनात्मक या वित्तीय दुर्यवहार शामिल है;

या

- पीड़ित (या उसके रिश्तेदारों) पर दहेज, संपत्ति या पैसे की अवैध मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालता है या नुकसान पहुँचाता है; या
- ऊपर वर्णित कार्यों से संबंधित किसी भी तरह से पीड़ित (या उसके रिश्तेदारों) को धमकी देता है; या
- किसी अन्य तरीके से पीड़ित को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुँचाता है या नुकसान पहुँचाता है।

यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

"घरेलू संबंध" क्या है?

घरेलू संबंध का अर्थ है दो लोगों के बीच का संबंध जो एक ही घर में रहते हैं या रह चुके हैं। वे निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं:

- रक्त (जैसे माता-पिता, भाई-बहन या बच्चे),
या
- विवाह या विवाह के समान संबंध, या
- गोद लेना, या

- एक संयुक्त परिवार में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य के रूप में।

"साझा घर" क्या है?

साझा घर कोई भी ऐसा घर है जहाँ पीड़ित किसी भी समय आरोपी के साथ घरेलू संबंध में रहा हो। इसमें शामिल हैं:

- एक घर जो उनमें से किसी एक या दोनों के स्वामित्व या किराए पर हो।
- एक घर जिसमें उनका कोई कानूनी या वित्तीय अधिकार हो।

— एक घर जो प्रतिवादी के संयुक्त परिवार का हिस्सा है, भले ही प्रतिवादी या पीड़ित दोनों में से किसी का भी उस पर स्वामित्व या कानूनी अधिकार न हो।

अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार के प्रकार

शारीरिक दुर्व्यवहार

— शारीरिक दुर्व्यवहार किसी भी ऐसे कार्य या व्यवहार को संदर्भित करता है जो शारीरिक दर्द, चोट, जीवन के लिए खतरा पैदा करता है, या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या विकास को प्रभावित करता है।

— इसमें किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए
मारना, धमकाना या बल का प्रयोग करना
जैसे कार्य शामिल हैं।

— महिलाओं पर शारीरिक दुर्व्यवहार का
उदाहरण:

- एक पति बहस के दौरान अपनी पत्नी
को थप्पड़ मारता है, जिससे उसे
शारीरिक दर्द और भावनात्मक
परेशानी होती है।
- एक पति अपनी नाबालिग बेटी को
थप्पड़ मारता है और धमकी देता है
कि अगर पत्नी पुलिस या अपने

परिवार से शिकायत करती है तो वह
उसे मार देगा।

यौन दुर्व्यवहार

— यौन दुर्व्यवहार का मतलब है कोई भी यौन
कृत्य या व्यवहार जो किसी महिला की
गरिमा को नुकसान पहुँचाता है, अपमानित
करता है, शर्मिंदा करता है या अनादर करता
है।

— महिलाओं पर यौन दुर्व्यवहार का उदाहरण:

- एक पति अपनी पत्नी पर उसकी
इच्छा के विरुद्ध यौन गतिविधियों में
शामिल होने के लिए दबाव डालता है

या मजबूर करता है, जिससे उसे
भावनात्मक परेशानी और अपमान
होता है।

- पति अपनी पत्नी को वित्तीय सहायता
रोकने की धमकी देता है या
भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता
है ताकि वह उसकी यौन मांगों को
मान ले।

मौखिक और भावनात्मक दुर्यवहार

— मौखिक और भावनात्मक दुर्यवहार में
शामिल हैं: दुख पहुँचाने वाली या
आपत्तिजनक बातें कहना, जैसे किसी का

अपमान करना, मज़ाक उड़ाना या शर्मिंदा
करना, खासकर बच्चे न होने पर या लड़का
बच्चा न होने पर।

— बार-बार पीड़ित के लिए महत्वपूर्ण किसी
व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की धमकी
देना।

— महिलाओं पर मौखिक और भावनात्मक
दुर्व्यवहार का उदाहरण: एक पति हर दिन
अपनी पत्नी का बच्चा पैदा न कर पाने के
लिए मज़ाक उड़ाता है, उसे "बेकार" कहता है
और अपने परिवार की वंश परंपरा को आगे
न बढ़ाने के लिए उसे दोषी ठहराता है।

— एक पति अपनी पत्नी से कहता है: "अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, तो मैं तुम्हारे माता-पिता को चोट पहुँचाऊँगा" या कहता है, "अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगी तो मैं हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाऊँगा।"

आर्थिक दुर्यवहार

आर्थिक दुर्यवहार तब होता है जब घरेलू रिश्ते में कोई व्यक्ति:

— वित्तीय संसाधनों से वंचित करता है जिसकी प्रभावित व्यक्ति को आवश्यकता है या हकदार है, जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए पैसे, बच्चों के भरण-पोषण के लिए पैसे, या

एक साझा घर का रखरखाव। प्रभावित व्यक्ति की संपत्ति या कीमती सामान (जैसे गहने, बचत या निवेश) जो उसके हैं या संयुक्त रूप से स्वामित्व में हैं, उन्हें छीन लेता है या उनका दुरुपयोग करता है।

— साझा संसाधनों या सुविधाओं तक पहुंच बंद कर देता है जिसका प्रभावित व्यक्ति को उपयोग करने का अधिकार है, जैसे कि एक साझा घर, परिवहन या बैंक खाते।

— महिलाओं पर आर्थिक दुर्यवहार के उदाहरण: एक पति अपनी पत्नी को भोजन या घरेलू खर्चों के लिए पैसे देने से इनकार

करता है, भले ही वह पर्याप्त आय अर्जित करता हो। एक साथी पत्नी के गहने (स्त्रीधन) उसकी सहमति के बिना बेच देता है या उसे अपने कर्ज के लिए जमानत के रूप में उपयोग करता है। परिवार कानून के तहत उसे मिलने वाली संपत्ति या विरासत को बेच देता है या उस तक उसकी पहुंच से इनकार करता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, २००५ के तहत

प्रक्रिया

- पहला कदम: संरक्षण अधिकारी को सूचित करना घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को संरक्षण अधिकारी (अधिनियम की धारा ८(१) के तहत नियुक्त) से संपर्क करना चाहिए।
- दूसरा कदम: पीड़ित महिला को उसके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए एक पीड़ित महिला को एक पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता (महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा

के उद्देश्य से कानून के तहत पंजीकृत कोई भी स्वैच्छिक संगठन) या एक मजिस्ट्रेट द्वारा उसके अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इन अधिकारों में शामिल हैं:

- संरक्षण आदेश, मौद्रिक राहत का आदेश, हिरासत का आदेश, निवास का आदेश, मुआवजा आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का उसका अधिकार;
- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ के तहत मुफ्त कानूनी सेवाएं

प्राप्त करने का उसका अधिकार; और
भारतीय दंड संहिता की धारा ४९८ ए
के तहत शिकायत दर्ज करने का
उसका अधिकार;

- संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं,
जिसमें आश्रय गृह, चिकित्सा
सुविधाएँ आदि शामिल हैं, की सेवाओं
का उसका अधिकार।

— तीसरा कदम: घरेलू घटना रिपोर्ट और अन्य
संरक्षण अधिकारी जिम्मेदारियाँ संकलित
करना संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट को एक
घरेलू घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और

प्रतियां प्रभारी पुलिस अधिकारी को भेजी जाती हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति चाहे तो इस रिपोर्ट में संरक्षण आदेश के लिए राहत का दावा भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, संरक्षण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति को उसके अधिकारों के रूप में उल्लिखित सभी लाभ मिलें और एक क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों और चिकित्सा सुविधाओं की सूची बनाए रखें।

- चौथा कदम: मजिस्ट्रेट को आवेदन करना
- मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख तय

करेगा, जो आमतौर पर न्यायालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने के ३ दिनों से अधिक नहीं होगी, और पहली सुनवाई की तारीख से ६० दिनों के भीतर प्रत्येक आवेदन का निपटारा करने का प्रयास करेगा।

- **पांचवां कदम: प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना देना** मजिस्ट्रेट सुनवाई की सूचना संरक्षण अधिकारी को जारी करेगा, जो इसे मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित २ दिनों के भीतर प्रतिवादी और किसी अन्य व्यक्ति को देगा।

अधिनियम के तहत उपाय/राहतसंरक्षण

आदेश (धारा १८)

एक मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा की शिकार महिला के लिए संरक्षण आदेश जारी कर सकता है यदि उसे लगता है कि हिंसा हुई है या हो सकती है।

आदेश आरोपी व्यक्ति को निम्नलिखित से रोक सकता है:

- हिंसा करना
- दूसरों को हिंसा करने में मदद करना
- पीड़ित के कार्यस्थल या बच्चे के स्कूल के पास जाना
- पीड़ित से संपर्क करना

- साझा संपत्ति या संपत्ति का उपयोग या हस्तांतरण करना
- पीड़ित से संबंधित दूसरों को चोट पहुँचाना
- अदालत द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना

निवास आदेश (धारा १९)

यदि मजिस्ट्रेट पाता है कि घरेलू हिंसा हुई है, तो वह निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है:

- आरोपी व्यक्ति (प्रतिवादी) को पीड़ित (व्यथित व्यक्ति) को साझा घर से बाहर निकालने या उसके वहाँ रहने में बाधा

डालने से रोकना, भले ही प्रतिवादी घर का मालिक न हो।

— प्रतिवादी को साझा घर छोड़ने के लिए कहना। प्रतिवादी या उसके रिश्तेदारों को घर के उस हिस्से में प्रवेश करने से रोकना जहाँ पीड़ित रहता है।

— प्रतिवादी को साझा घर बेचने या देने से रोकना। अदालत की मंजूरी के बिना साझा घर में अपने स्वामित्व के अधिकार छोड़ने से प्रतिवादी को रोकना।

— यदि आवश्यक हो तो पीड़ित के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करना या किराया देना।

इन आदेशों के तहत किसी महिला को घर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह धारा यह भी सुनिश्चित करती है कि घरेलू हिंसा के पीड़ितों को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान, यदि आवश्यक हो तो वित्तीय सहायता और आगे के दुर्व्यवहार से सुरक्षा मिले। यह भविष्य की हिंसा को भी रोकता है और उनके वैध कब्जों की वापसी को लागू करता है।

आर्थिक राहत (धारा २०)

यदि कोई महिला घरेलू हिंसा कानूनों के तहत मामला दर्ज करती है, तो अदालत (मजिस्ट्रेट) अपराधी को दुर्व्यवहार के कारण हुए नुकसान

और खर्चों को कवर करने के लिए उसे पैसे देने का आदेश दे सकती है।

— दी गई धनराशि उचित, तर्कसंगत और महिला के जीवन स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।

— अदालत मामले के आधार पर एकमुश्त या मासिक किस्तों में भुगतान करने का आदेश दे सकती है।

— आदेश की एक प्रति महिला, अपराधी और स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी।

— अपराधी को अदालत द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर पैसे का भुगतान करना होगा।

— यदि अपराधी भुगतान करने में विफल रहता है, तो अदालत उसके नियोक्ता या देनदार को सीधे महिला को भुगतान करने या अदालत में पैसे जमा करने का निर्देश दे सकती है। इस पैसे का उपयोग अपराधी के बकाया राशि को कवर करने के लिए किया जाएगा।

हिरासत आदेश (धारा २१)

अन्य कानूनों के बावजूद, एक मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश या अन्य राहत के लिए सुनवाई के दौरान किसी भी समय:

- बच्चे की अस्थायी हिरासत महिला को दे सकता है
- प्रतिवादी के लिए मुलाकातों की व्यवस्था करने का निर्णय ले सकता है
- प्रतिवादी को मुलाकातों से इनकार कर सकता है

मुआवजा आदेश (धारा २२)

यदि घरेलू हिंसा का सामना करने वाला व्यक्ति आवेदन करता है, तो मजिस्ट्रेट दुर्व्यवहार करने वाले को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकता है।

— इसमें शारीरिक चोटों, मानसिक पीड़ा और
भावनात्मक दर्द के लिए पैसे शामिल हैं।

**अंतरिम और एकतरफा आदेश देने की शक्ति
(धारा २३)**

यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह उचित और
आवश्यक है तो वह मामले के दौरान अस्थायी
आदेश जारी कर सकता है।

— यदि मजिस्ट्रेट महिला के आवेदन के
आधार पर मानता है कि प्रतिवादी
(आरोपी) ने घरेलू हिंसा की है, कर रहा है,
या कर सकता है, तो वह प्रतिवादी को

पहले सुने बिना आदेश जारी कर सकता है।

— ये आदेश महिला के शपथ पत्र पर आधारित हो सकते हैं और अधिनियम की धारा १८, १९, २०, २१ या २२ से संबंधित हो सकते हैं।

अधिनियम के तहत प्रदान की गई

सुविधाएँ

- आश्रय गृह (धारा ६)
- चिकित्सा सुविधाएँ (धारा ७)
- परामर्श (धारा १४)

— कल्याण विशेषज्ञ की सहायता (धारा १५)
संरक्षण अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों
और सेवा प्रदाताओं द्वारा सहायता (धारा
४, ५, ८, ९, १०)

घरेलू हिंसा के खिलाफ अन्य उपाय

— प्राथमिकी दर्ज करना: निकटतम पुलिस
स्टेशन में घरेलू हिंसा की घटना(ओं) की
रिपोर्ट करें।

- यदि आप पुलिस स्टेशन नहीं जा
सकते हैं, तो ११२ डायल करें।
- पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा
४९८ए (बीएनएस की धारा ८५) के

तहत शिकायत दर्ज करेगी और
प्रारंभिक जांच करेगी।

- पुलिस पीड़ित को क्षेत्र के प्रभारी
संरक्षण अधिकारी के पास भी भेज
सकती है।

— राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को

सूचित करना: एनसीडब्ल्यू घरेलू हिंसा,
दहेज उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के
मामलों में मदद करता है। एनसीडब्ल्यू
पीड़ितों का समर्थन इस प्रकार करता है:

- मुद्दों से संबंधित शिकायतों की
जांच करता है और यह सुनिश्चित
करता है कि स्थानीय पुलिस तेजी

से कार्रवाई करे। वे अदालत में जाए बिना विवादों को हल करने के लिए परामर्श या मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

- घटनास्थल का दौरा करने, गवाहों से बात करने, सबूत इकट्ठा करने और सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए टीमें गठित करता है।
- पीड़ित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं या डाक के माध्यम से शिकायत भेज सकते हैं।

३. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

यौन उत्पीड़न को समझना

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में यौन अर्थ वाले कोई भी अवांछित व्यवहार शामिल हैं जो एक डरावना या शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाते हैं। यह गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है।

उदाहरण

— अनुचित स्पर्श; लिंगभेदी चुटकुले और
टिप्पणियाँ; अवांछित प्रस्ताव या उपहार;
अश्लील सामग्री प्रदर्शित करना

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण)

अधिनियम, २०१३

यौन उत्पीड़न क्या है?

"यौन उत्पीड़न" का अर्थ है कोई भी अवांछित
कार्रवाई या व्यवहार, जिसमें शामिल हैं:

- शारीरिक संपर्क या आगे बढ़ना, या
- यौन एहसान मांगना, या
- यौन टिप्पणियाँ या बातें करना, या
- अश्लील सामग्री दिखाना, या
- यौन प्रकृति की कोई अन्य अवांछित
कार्रवाई, शब्द या हावभाव।

इसमें शामिल हैं (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं):

- शारीरिक संपर्क, पीछा करना,
अपमानजनक आवाजें, अश्लील/अभद्र
चुटकुले, फोन कॉल, टेक्स्ट संदेश, ई-मेल।
- महिला कर्मचारी की उपस्थिति में यौन
रूप से अपमानजनक भाषा या संकेतों का
उपयोग करना।
- इच्छा के विरुद्ध शारीरिक रूप से रोकना
या छूना और किसी की गोपनीयता का
उल्लंघन करने की संभावना, आदि।

पॉश अधिनियम, २०१३ के तहत महत्वपूर्ण शब्द

नियोक्ता एक "नियोक्ता" है:

- सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा या इकाई का प्रमुख, या इस उद्देश्य के लिए नामित कोई भी अधिकारी।
- कोई भी (चाहे अनुबंध पर हो या नहीं) जो पहले वर्ग में शामिल नहीं, कार्यस्थल का प्रबंधन, पर्यवेक्षण या नियंत्रण करता है।

— घरेलू कामगारों या महिला कर्मचारियों के काम पर रखने या उससे लाभ उठाने वाला व्यक्ति या घर।

कर्मचारी

— "कर्मचारी" शब्द का अर्थ है कार्यस्थल पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे नियमित रूप से, अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर, या दैनिक वेतन भोगी के रूप में।

— इसमें शामिल हैं: सीधे, किसी एजेंट या ठेकेदार के माध्यम से, नियोक्ता की

जानकारी के साथ या बिना काम पर रखे गए लोग।

— यह लागू होता है कि उन्हें भुगतान किया जाता है या नहीं, स्वेच्छा से या अन्यथा काम कर रहे हैं या नहीं, और उनकी रोजगार की शर्तें लिखित या निहित हैं या नहीं।

— सहकर्मी, अनुबंध कर्मचारी, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु, या इसी तरह के किसी भी पदनाम वाले व्यक्ति।

कार्यस्थल

एक "कार्यस्थल" में शामिल हैं:

- कोई भी सरकारी विभाग, संगठन,
कार्यालय, शाखा या इकाई जो सरकार,
स्थानीय अधिकारियों, सरकारी कंपनियों,
निगमों या सहकारी समितियों द्वारा
स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित या मुख्य
रूप से वित्त पोषित है।
- कोई भी निजी संगठन, व्यवसाय, संस्थान
या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, पेशेवर,
शैक्षिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन
या वित्तीय सेवाओं जैसी गतिविधियों में

- शामिल है, साथ ही वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, बिक्री या वितरण करता है।
- अस्पताल या नर्सिंग होम।
 - कोई भी खेल सुविधा, स्टेडियम, परिसर या स्थल जिसका उपयोग प्रशिक्षण, खेल, प्रतियोगिताओं या संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है, चाहे वह आवासीय हो या न हो।
 - कोई भी स्थान जहाँ कोई कर्मचारी काम के दौरान या काम के उद्देश्य से जाता है, जिसमें नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया परिवहन भी शामिल है।
 - एक घर या निवास जहाँ काम होता है।

— असंगठित क्षेत्र: छोटे व्यवसाय या स्व-
नियोजित श्रमिक जो वस्तुओं का उत्पादन
या बिक्री या सेवाएं प्रदान करने में शामिल
हैं, जिसमें १० से कम कर्मचारी हैं।

एक नियोक्ता और जिला अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ

- एक विस्तृत नीति बनाना और उसे
संप्रेषित करना।
- इस मुद्दे पर जागरूकता और
अभिविन्यास सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक कार्यस्थल और जिले में आंतरिक
शिकायत समिति/समितियों का गठन

- करना ताकि प्रत्येक कामकाजी महिला को अपनी शिकायत(ओं) के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करना कि शिकायत समितियों को कौशल और क्षमता दोनों में प्रशिक्षित किया जाए।
 - एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और संबंधित राज्य सरकार को रिपोर्ट करना।
 - जिला अधिकारी स्थानीय स्तर पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगा।

पॉश अधिनियम, २०१३ के तहत शिकायत समिति/समितियाँ

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

- प्रत्येक नियोक्ता लिखित आदेश के माध्यम से एक आईसीसी गठित करने के लिए बाध्य है। आईसीसी में महिलाओं का ५०% प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- आईसीसी के सदस्य अपनी नामांकन या नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।

- आईसीसी (आंतरिक शिकायत समिति)
यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निपटारा
करती है।
- यह शिकायतें प्राप्त करती है, निष्पक्ष रूप
से उनकी जांच करती है, और निष्पक्षता
सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक न्याय
के सिद्धांतों का पालन करती है।
- अपनी जांच के निष्कर्षों के आधार पर,
आईसीसी उचित कार्रवाई की सिफारिश
करती है, जिसमें उत्पीड़न करने वाले के
खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी
शामिल हो सकती है।

- आईसीसी नियमित रूप से नियोक्ता और सरकार को रिपोर्ट करती है, जिसमें शिकायतों की संख्या, की गई कार्रवाई और उत्पीड़न को रोकने के लिए उठाए गए कदमों जैसे विवरण साझा किए जाते हैं।
- यह शिकायत प्रक्रिया के दौरान सभी जानकारी और पहचान को गोपनीय रखकर गोपनीयता सुनिश्चित करती है ताकि इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा हो सके।

स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी)

— जिला अधिकारी प्रत्येक जिले में एक एलसीसी की स्थापना करेगा ताकि छोटे व्यवसायों या अनौपचारिक नौकरियों में काम करने वाली महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित महसूस कराया जा सके।

— एलसीसी निम्नलिखित मामलों में शिकायतों का निपटारा करती है:

- जब कोई महिला १० से कम कर्मचारियों वाले स्थान पर काम करती है।

□ जब शिकायत नियोक्ता के बारे में हो।

□ जब शिकायत घरेलू कामगार द्वारा की गई हो।

— एलसीसी महिलाओं को यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करने में मदद करती है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जांच करती है।

— जांच के बाद उपयुक्त कार्रवाई का सुझाव देती है।

— शिकायत प्रक्रिया के दौरान पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करती है।

आईसीसी और एलसीसी दोनों ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के समाधान में महत्वपूर्ण हैं। भारत में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने के लिए नियोक्ताओं को कानूनी रूप से इन समितियों की स्थापना और समर्थन करना आवश्यक है।

कौन शिकायत दर्ज कर सकता है?

दस से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में, कोई भी महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में एलसीसी के पास शिकायत दर्ज करा सकती है। यदि आवश्यक हो, तो वह नोडल अधिकारी से मदद ले सकती है।

- नोडल अधिकारी का काम ऐसी शिकायतों को प्राप्त करना और आगे की कार्रवाई के लिए ७ दिनों के भीतर उचित शिकायत समिति को भेजना है।
- बड़े कार्यस्थलों में, महिलाएं सीधे आईसीसी के पास शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

शिकायत की सामग्री

- शिकायतकर्ता का नाम और संपर्क विवरण।
- घटना(ओं) की तारीख, समय और स्थान।

- प्रतिवादी (आरोपी) का नाम और संपर्क विवरण।
- संदर्भ के साथ आरोप, जिसमें घटना से पहले, दौरान और तुरंत बाद क्या हुआ, शामिल है।
- साक्ष्य (यदि कोई हो)। यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए अनिवार्य साक्ष्य या सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है।
- गवाह और उनके संपर्क विवरण।
- शिकायतकर्ता पर प्रभाव, जैसे भावनात्मक संकट या काम के प्रदर्शन पर प्रभाव।

— मांगा गया उपाय, जैसे माफी, मुआवजा
या समाप्ति।

— शिकायतकर्ता की तारीख और हस्ताक्षर।

पॉश अधिनियम, २०१३ के तहत

आईसीसी/एलसीसी द्वारा अपनाई गई

प्रक्रिया

पहला चरण: शिकायत की प्राप्ति

— शिकायत प्राप्त करें और प्राप्ति की पावती
दें।

— औपचारिक और अनौपचारिक समाधान के
विकल्पों का पता लगाने के लिए
शिकायतकर्ता से मिलें और बात करें:

- अनौपचारिक तंत्र।
- औपचारिक तंत्र।
- प्रतिवादी और प्रतिक्रिया।

दूसरा चरण: सावधानीपूर्वक योजना बनाना

- फ़ाइल तैयार करना।
- विचार।

तीसरा चरण: साक्षात्कार

- सुनवाई के लिए एक साक्षात्कार योजना तैयार करें: शिकायतकर्ता, गवाह और प्रतिवादी।
- एकत्र की गई जानकारी की पूर्णता का आकलन करें।

चौथा चरण: तर्क

- जांच के दौरान एकत्र की गई जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करें।
- शिकायतों से संबंधित घटनाओं के क्रम को स्थापित करने के लिए एक समयरेखा बनाएं।
- साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रत्येक बयान के भीतर समानताओं और अंतरों की तुलना करें।

पांचवां चरण: निष्कर्ष और सिफारिशें छठा

चरण:

— रिपोर्ट लिखना

जांच ९० दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद दस दिनों के भीतर नियोक्ता या जिला अधिकारी (जैसा भी मामला हो) को एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

रिपोर्ट संबंधित पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

नियोक्ता या जिला अधिकारी सिफारिशों पर ६० दिनों के भीतर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।

शिकायतकर्ता के अधिकार

- शिकायत समिति से सहानुभूतिपूर्ण रवैया ताकि वह निडर वातावरण में अपनी शिकायत बता सके।
- प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बयान की एक प्रति सभी साक्ष्यों और गवाहों की सूची के साथ।
- पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी पहचान गोपनीय रखना।
- यदि वह आपराधिक कार्यवाही दर्ज करना चाहती है तो प्राथमिकी दर्ज करने में सहायता।

- प्रतिवादी से धमकी का डर होने की स्थिति में, उसका बयान प्रतिवादी की अनुपस्थिति में दर्ज किया जा सकता है।
- शिकायत समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों से संतुष्ट न होने की स्थिति में अपील करने का अधिकार।

प्रतिवादी के अधिकार

- गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए धैर्यपूर्वक सुनवाई।
- शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत बयान की एक प्रति सभी साक्ष्यों और गवाहों की सूची के साथ।

- पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी पहचान गोपनीय रखना।
- शिकायत समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों से संतुष्ट न होने की स्थिति में अपील करने का अधिकार।

यौन उत्पीड़न के खिलाफ अन्य उपाय

प्राथमिकी दर्ज करना

- यौन उत्पीड़न की घटना(ओं) की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन में करें। यदि आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं, तो ११२ डायल करें।

— पुलिस आईपीसी की धारा ३५४ए (बीएनएस की धारा ७५) या अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को सूचित करना

- राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सहित यौन उत्पीड़न के मामलों में मदद करता है।
- एनसीडब्ल्यू शिकायतों की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय पुलिस तेजी से कार्रवाई करे।

- संगठनों या विभागों को शिकायतों की जांच के लिए पॉश अधिनियम, २०१३ के अनुसार एक आईसीसी स्थापित करने का आग्रह करता है।
- घटनास्थल का दौरा करने, गवाहों से बात करने, सबूत इकट्ठा करने और सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए टीमों गठित करता है।
- पीड़ित एनसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं या डाक के माध्यम से शिकायत भेज सकते हैं।

४. समुदाय-आधारित कार्रवाई

समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) की भूमिका

जागरूकता बढ़ाना

जमीनी स्तर के अभियानों के लिए उपकरण:

— नुक्कड़ नाटक:

स्क्रिप्ट विचार: "गुड्डी का साहस" - एक नाटक जहाँ एक गाँव की महिला अपने शराबी पति के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम का उपयोग करती है। दर्शकों को जोड़ने के लिए

स्थानीय बोलियों और हास्य का उपयोग करें।

— दीवार कला और पोस्टर:

नमूना संदेश:

"काम के स्थान पर उत्पीड़न गैरकानूनी है!

पॉश अधिनियम २०१३ जानें"

"घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करें: संरक्षण

अधिकारी का नंबर [स्थानीय पीओ संपर्क]"

— सामुदायिक रेडियो स्पाॅट:

३० सेकंड की स्क्रिप्ट:

"अगर आपके साथ मारपीट, गाली-गलौज,

या आर्थिक शोषण हो रहा है, तो १८१ पर

कॉल करें। महिला अधिकार कानून आपके साथ है!"

जमीनी स्तर के अभियान का उदाहरण

बिहार में महिलाओं के नेतृत्व वाले एक सीबीओ, जन शक्ति ने घरेलू हिंसा के मामलों पर नज़र रखने के लिए ग्राम-स्तरीय महिला समिति बनाई। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने प्रखंड में एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति के लिए दबाव डाला।

— १५ ग्रामीण महिलाओं को "न्याय सहेली" के रूप में प्रशिक्षित किया

— घरेलू हिंसा के मामलों पर चर्चा करने के लिए साप्ताहिक चौपाल बैठकें आयोजित कीं

— परिणाम:

- ६ महीनों में ४३ मामले दर्ज किए गए, जबकि पहले २ थे
- सफलतापूर्वक अपने प्रखंड में एक संरक्षण अधिकारी के लिए पैरवी की

सहायता प्रणाली: चरण-दर-चरण

मार्गदर्शिका

पहली प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल:

क्या करें:

- बचे हुए व्यक्ति पर विश्वास करें
- तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करें (जैसे, अस्थायी आश्रय)

क्या न करें:

- यह न पूछें कि "तुम पहले क्यों नहीं चली गई?"

— बचे हुए व्यक्ति की सहमति के बिना
मध्यस्थता न करें

दस्तावेज़ीकरण टूलकिट:

— नमूना डीआईआर (घरेलू घटना रिपोर्ट)

फॉर्म:

शारीरिक दुर्व्यवहार (चोटों का वर्णन करें):

आर्थिक दुर्व्यवहार (रोकी गई आय का विवरण):

₹

गवाह (नाम/संपर्क):

— सुरक्षित रेफरल नेटवर्क: स्थानीय संसाधन
टेम्पलेट:

सेवा	संपर्क	निःशुल्क
कानूनी सहायता	डीएलएसए प्रयागराज: XXX	हाँ
आश्रय गृह	शक्ति सदन: XXX	हाँ

— वकालत और नीति परिवर्तन प्राधिकारियों
की निगरानी जवाबदेही के लिए चेकलिस्ट:

पुलिस स्टेशन:

— क्या महिला सहायता डेस्क कार्यात्मक है?

— क्या घरेलू हिंसा अधिनियम/पॉश के तहत
प्राथमिकी दर्ज की जा रही हैं?

संरक्षण अधिकारी:

— क्या २४ घंटे के भीतर डीआईआर दाखिल
की जा रही हैं?

प्रशिक्षण उपकरण

इंटरैक्टिव गतिविधियाँ

— आईसीसी सुनवाई: भूमिका-निर्वाह स्क्रिप्ट:
पात्र: शिकायतकर्ता (राधा, फैक्ट्री
कर्मचारी); प्रतिवादी (पर्यवेक्षक); आईसीसी
अध्यक्ष

परिदृश्य: पर्यवेक्षक पदोन्नति के लिए यौन
एहसान मांगता है।

डीब्रीफ प्रश्न: अगर आईसीसी उसके मामले
में देरी करती है तो राधा क्या कर सकती
है? जाति इस परिदृश्य को कैसे प्रभावित
कर सकती है?

— घरेलू हिंसा अधिनियम/पाँश प्रश्नोत्तरी नमूना

प्रश्न:

- ☐ "क्या एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति पाँश
शिकायत दर्ज कर सकता है?"

उत्तर: ☒ हाँ (सर्वोच्च न्यायालय,
नालसा फैसला)

- "सही/गलत: घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक पत्नी को अपने वैवाहिक घर से बेदखल किया जा सकता है।"

उत्तर: ✗ गलत (धारा १७ निवास अधिकार प्रदान करती है)

- साझा घर क्या है?
- संरक्षण अधिकारी कौन है?
- आईसीसी की दो भूमिकाएँ क्या हैं?
- घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत हिंसा के कौन से रूप शामिल हैं?

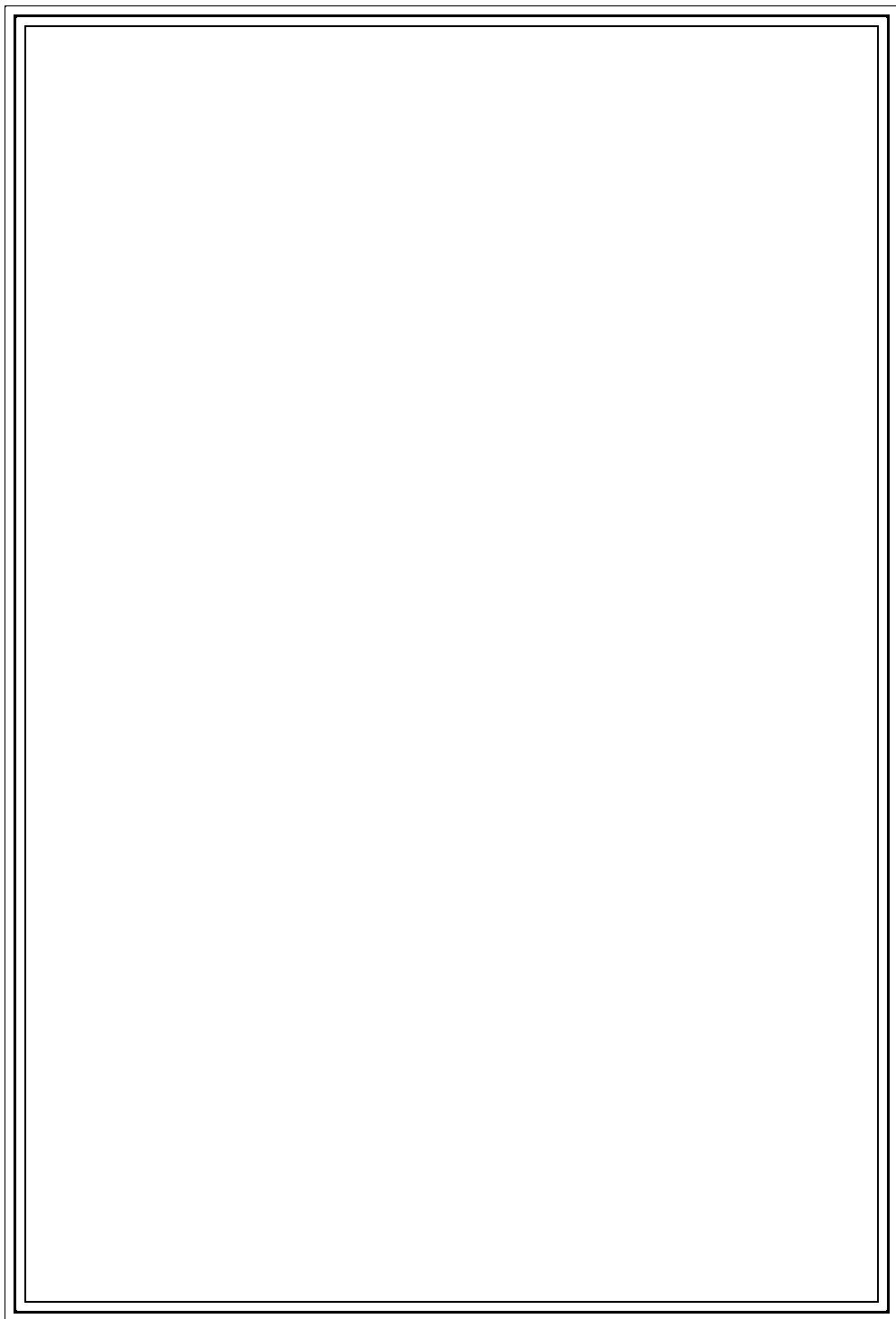
राष्ट्रीय हेल्पलाइन

संकट सहायता:

- १८१ (महिला हेल्पलाइन)
- ११२ (आपातकालीन पुलिस)
- एनसीडब्ल्यू व्हाट्सएप: +९१-७२१७७-३५३७२
- स्थानीय सेवाएं अनुकूलन के लिए

टेम्पलेट:

- ☐ [आपका जिला] संसाधन:
- ☐ आश्रय: [नाम], [पता], [संपर्क]
- ☐ चिकित्सा: [अस्पताल] में निःशुल्क बलात्कार किट सुविधाएँ
- ☐ सीबीओ: [विशेषज्ञताओं के साथ स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की सूची]



पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) लोकप्रिय शिक्षा के माध्यम से जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्रवाई को मजबूत करने के लिए समर्पित एक सामूहिक है। हम प्रमुख विकास प्रतिमानों में भागीदारी के सतही उपयोग को चुनौती देते हैं, हाशिए के समुदायों के लिए वास्तविक सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। हमारा दृष्टिकोण लोगों को एजेंसी को पुनः प्राप्त करने, निहित शक्ति संरचनाओं को चुनौती देने और अपनी वास्तविकताओं को बदलने के लिए ज्ञान और क्षमता से लैस करता है।



पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)

ए-124/6, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016

दूरभाष: 011-26858940

Email: peaceactdelhi@gmail.com

Website: <https://populareducation.in>